पैदावार की दृष्टि से कोई परीक्षण किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, बशर्ते कि भू-प्रकति की विशेषताएं और कृषि परिस्थिति की दशाओं से संबंधित आधारभूत आंकड़े प्रथम दृष्टि में उपयुक्त पाये जाएं।

Restructuring of R.R.B's

*352. **SHRI BHUBANESWAR KALITA:**
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Regional Rural Banks have suffered an accumulated loss of Rs. 300 crores of account of administrative expenses and being debarred from any banking transactions; and

(b) if so, whether Government propose to restructure the Regional Rural Banks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) In terms of Regional Rural Banks Act, 1976 every Regional Rural Bank is to carry and transact the business of banking as defined in Banking Regulation Act, 1949. However, the RRBs are required to undertake, in particular, the granting of loans and advances, to small and marginal farmers and agricultural labourers, artisans, small entrepreneurs and persons of small means within their areas of operation. The accumulated losses of RRBs as at the end of March, 1991 were reported as Rs. 363.91 crores. The reasons for losses of RRBs are attributable to several factors like restriction on the choice of clientele, limited area of operation, low interest margin, mounting establishment costs particularly after implementation of award of the National Industrial Tribunal etc. The reorganisation of the rural credit delivery system including restructuring of the RRBs is under consideration. However, no decision has so far been taken in this regard.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करना

*353. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, 9 मार्च 1992 के "दी इकॉनामिक टाइम्स" में "एफ०एम० होपफुल आफ गटिंग 3 बिलियन डालर फ्राम आई०एम०एफ०, अदर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार अगले वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की नियमित और सरल उपलब्धि के अतिरिक्त 3 बिलियन डालर और ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी;

(ग) यदि हां, तो उक्त ऋण प्राप्त करने के बाद देश पर अनुमानतः कुल कितने विदेशी ऋण की देनदारी होगी;

(घ) क्या सरकार, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए, जो लम्बे समय से निर्माणाधीन चल रही हैं, उनके लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली ठोस कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 1992-93 के लिए विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब अभी लगाया जा रहा है। तथापि, उनका अनन्तिम अनुमान लगभग 3 बिलियन डालर है और इन आवश्यकताओं को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से पूरा करने संबंधी उपायों को भारत सहायता संघ की जून, 1992 में होने वाली बैठक में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) यह बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त ऋण की राशि पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयकर का अपवंचन

*354. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री कपिल वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की

सूची सहित उन उपक्रमों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी 10 लाख से अधिक की अदायगी आयकर के रूप में करनी है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या सख्त कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) इस प्रकार की कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(ख) दिनांक 30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के बैंकों के 48 ऐसे मामले थे जिनकी तरफ 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर की मांग बकाया थी। इनकी एक सूची विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिये)**

(ग) इन सभी मामलों में मांग की वसूली के निमित्त की जाने वाली कार्यवाही पर आयकर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है और वसूली के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवश्यक उपाय किए जाते हैं। लेकिन, मांग का एक बड़ा भाग विवादग्रस्त है और अपीलों आदि में पड़ा हुआ है और अपीलीय प्राधिकारियों से अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

उपक्रमों/बैंकों के नाम

क्रम सं॰	उपक्रम/बैंक का नाम
1.	मै॰ एन्ड्रू यूले एण्ड कं॰ लि॰
2.	मै॰ भारत एल्यूमीनियम कं॰ लि॰
3.	मै॰ भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि॰
4.	मै॰ हिन्दुस्तान केबल्स लि॰
5.	मै॰ इलैक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि॰
6.	मै॰ एच॰एम॰टी॰ लि॰
7.	मै॰ इंडिया पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि॰
8.	मै॰ इंडियन रेयर अर्थ लि॰
9.	मै॰ मद्रास फर्टीलाइज़र्स लि॰
10.	मै॰ मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि॰
11.	मै॰ नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि॰
12.	मै॰ नेशनल मिनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि॰
13.	मै॰ नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन
14.	मै॰ हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लि॰
15.	मै॰ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰
16.	मै॰ नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लि॰
17.	मै॰ मेटालर्जीकल एण्ड इंजी॰ कंसलटेंट्स (इंडिया) लि॰
18.	मै॰ ओ॰एन॰जी॰सी॰ लि॰
19.	मै॰ इंडियन ऑयल कारपोरेशन
20.	मै॰ विदेश संचार निगम लि॰
21.	मै॰ सी॰एम॰सी॰ लि॰
22.	मै॰ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि॰
23.	मै॰ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लि॰
24.	मै॰ विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि॰
25.	मै॰ व्यास बैंक लि॰
26.	मै॰ सिंडीकेट बैंक
27.	मै॰ भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेसर्स लि॰
28.	मै॰ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लि॰
29.	मै॰ देना बैंक लि॰
30.	मै॰ स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
31.	मै॰ एन॰टी॰सी॰ (एम॰ पी॰), इन्दौर
32.	मै॰ होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰
33.	मै॰ शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰
34.	मै॰ मझगांव डॉक लि॰
35.	मै॰ टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰
36	मै॰ बंगाल इम्यूनिटी लि॰
37.	मै॰ फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰
38.	मै॰ आई॰डी॰पी॰ लि॰
39.	मै॰ इलैक्ट्रॉनिक ट्रेड एण्ड टेक्नीकल डिवेलपमैंट कारपोरेशन लि॰
40.	मै॰ रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि॰
41.	मै॰ ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰
42.	मै॰ हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि॰
43	मै॰ फेरो स्क्रैप निगम
44.	मै॰ पाइका ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि॰
45.	मै॰ भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं॰ लि॰
46.	मै॰ नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं॰ लि॰
47.	मै॰ एन॰टी॰सी॰ (ए॰पी॰के॰के॰ एण्ड एम॰) लि॰
48.	मै॰ सैन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लि॰

Norms for establishment of non-conventional energy centres in the country

*355. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) what is the number of Non-conventional Energy Centres working in the country, State-wise;

(b) what are the norms for establishing these centres; and

(c) how many proposals received from Karnataka in this regard are pending?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHR KALP NATH RAI): (a) and (b) For research, development, demonstration, training and field evaluation of various types of new and renewable energy systems and devices, the Department of Non-Conventional Energy Sources supports setting up of centres for different programmes such as biogas, biomass, improved chulha etc. at different institutions in various States/ specified areas of the country. These centres are set up according to the technical and administrative requirements